सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारी – श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 113/2018

1. श्रीमती ईश्वरी बेवा नारायण आयु लगभग 84 वर्ष निवासी लोधा मौहल्ला नीमच, म.प्र.
2. रमेश पुत्र भवानीराम आयु लगभग 40 वर्ष निवासी लोधा मौहल्ला नीमच म.प्र.
3. श्रीमती गंगा बेवा चांदमल, निवासी लोधा मौहल्ला नीमच, म.प्र.
4. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार आयु 26 वर्ष निवासी अंधेरी पुलिया पाल बीचला अजमेर
5. नरेन्द्र पुत्र मुरारीलाल जाति लोधा आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी लोधा मौहल्ला नसीराबाद जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. चौथमल पुत्र भैरूलाल जाति लोधा
2. जगदीश पुत्र भैरूलाल जाति लोधा

निवासीगण ग्राम लोधा का बाड़िया, ग्राम बलाड़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 180 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 24-07-2019

वादी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि लोधों का बाड़िया ग्राम बलाड़ तहसील ब्यावर के खातेदार काश्तकार हैं एवं उनके पक्ष में राजस्व वाद संख्या 115/2014 दिनांक 12.06.2017 बउनवान श्रीमती सीताबाई बनाम हीरासिंह में उपखण्ड अधिकारी द्वारा खातेदारी की घोषणा एवं अन्य की डिक्री पारित की गई है एवं यह भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तरित होकर राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित किया गया है। खतौनी संख्या नई 309, पुरानी 288 खसरा नम्बर 914 रकबा 00–07–10, 915 रकबा 00–07–00, 2872/891 रकबा 00–09–00 तथा खतौनी संख्या नई 310 पुरानी 289 खसरा संख्या 893 चाह में भी हिस्सा अंकित किया है। प्रार्थीगण अधिकतर नीमच रहने के कारण एवं मौके पर मौजूद नहीं होने से प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि को साल दर साल के आधार पर काश्त के लिये सन् 2000 से दे रखी थी एवं अप्रार्थीगण को 1/3 हिस्से के बांटे पर दे रखी थी एवं अप्रार्थीगण इस आधार पर भूमि काश्त करते चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण को फसल अनुसार बांटे की रकम काटकर देते चले आ रहे थे। प्रार्थीगण को मौके पर जाने पर यह जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीगण की स्वीकृति के बिना गत दो माह पूर्व से भूमि खसरा संख्या 914 में अंदाजन 10 x 20 फुट भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से मकान बनाना प्रारंभ कर दिया है जो निर्माण कार्य आज भी चल रहा है जिसे अप्रार्थी संख्या 2 को बनाने का कोई अधिकार नहीं था व है। प्रार्थीगण अब विवादग्रस्त भूमि को स्वयं काश्त करना चाहते है, इस कारण उन्होंने दिनांक 26.07.2018 को मौसमी बरसात होने के कारण अप्रार्थीगण से कहा कि वह अप्रार्थीगण से भूमि काश्त नहीं करवाना चाहते हैं एवं प्रार्थी संख्या 2 ट्रेक्टर लेकर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर चार पांच दिन बाद पहुंचे तो अप्रार्थी संख्या 1 ने उन्हें ट्रेक्टर चलाने से रोका व प्रार्थीगण के सहयोगियों एवं मजदूर आदि के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिये आमादा हुए मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने बीच बचाव किया अन्यथा अप्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 2 को जान से मार देते। अप्रार्थीगण हठधर्मी से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि को काश्त करने से रोक रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, इस कारण प्रार्थीगण मौजूदा प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थीगण को बेदखल करने व मकान को जो अवैध निर्माण किया जा रहा है , को ध्वस्त

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर गत पांच साल से अधिक समय से काश्तकार रहने क कारण अप्रार्थीगण के काश्त करने के अधिकार समाप्त हो गये हैं और इस कारण भी वह बेदखल होकर प्रार्थीगण उनसे कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ कर उन्हें भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। भूमि खसरा नम्बर 914 पर जो मकान का निर्माण करवाया जा रहा है उसे ध्वस्त करवाने के आदेश पारित किये जावें तथा भविष्य में अगर कोई निर्माण किया जाता है तो उसे भी ध्वस्त किया जावे। अप्रार्थीगण से बतौर हर्जाना विधि के प्रावधानों के अनुसार दिलाया जावे एवं जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 को सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं करने बाबत् प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का खाली कब्जा वादी/प्रार्थीगण को संभला दिया है तथा अब दोनों पक्षों में कोई विवाद शेष नहीं है।

वादी संख्या 2 श्री रमेश व वादी संख्या 5 श्री नरेन्द्र द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसमें उनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा कथन किए कि वादग्रस्त आराजियात का कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.06.2017 को वाद संख्या 115/2014 में एक निर्णय उनवान श्रीमती सीताबाई व अन्य बनाम श्री हीरासिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन्हीं वादग्रस्त आराजियात बाबत् वादीगण के पक्ष में पारित किया गया जिसकी प्रमाणित प्रस्तुत की है। ग्राम बलाड़ के नामान्तरकरण रजिस्टर क्रमांक 1992 की प्रति प्रस्तुत की है। ग्राम बलाड़ की जमाबन्दी संवत् 2070–73 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 309 में अंकित खसरा संख्या 914 रकबा 00–07–10, 915 रकबा 00–07–00, 2872/891 रकबा 00–09–00 तथा खाता संख्या 310 में अंकित खसरा संख्या 893 चाह में खातेदार नारायण वल्द आत्माराम कौम लोदा सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज है। बयान गवाह अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ब्यावर जिला अजमेर में चौथमल पिता भैरूसिंह के बयान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजी पर उसके स्वयं के द्वारा खेती बाड़ी किये जाने के कथन अंकित है। भूमि का फोटो छाया चित्र प्रस्तुत किया है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों, बहस में किये गये कथनों व विवेचन के आधार पर वादीगण ग्राम बलाड़ की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 914 रकबा 00–07–10, 915 रकबा 00–07–00, 2872/891 रकबा 00–09–00 तथा खसरा संख्या 893 चाह में खातेदार दर्ज होना पाया गया है, परन्तु अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 180 राजस्थान काश्तकारी अधि0

.....लगातार

(जसप्रीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

प्रकरण की मौजूदा स्थिति पर लागू नहीं होती है, क्योंकि **"प्रस्तुत धारा 180 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खुदकाश्त के आसामियों या गैर खातेदार आसामियों या सिकमी आसामियों की बेदखले के लिए अतिरिक्त उपबंध (1) कोई खुदकाश्त का आसामी या गैर खातेदार आसामी या शिकमी आसामी, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर बेदखल किया जा सकेगा, (क) ऐसे आसामी या शिकमी आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि का क्षेत्रफल राज्य सरकार द्वारा उस जिले या जिले के उस भाग, जिसमें वह भूमि स्थित है, के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक है और उस अधिक क्षेत्रफल से बेदखली भूमि धारी द्वारा व्यक्तिगत कृषि प्रयोजनार्थ चाही गई है, परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे आसामी या शिकमी आसामी की शुद्ध आय, उसके तथा उसके कुटुम्ब द्वारा किये गये परिश्रम के मूल्य के अतिरिक्त रूपये 1200/– हो जाय, भिन्न–भिन्न जिलों या जिले के भिन्न भिन्न भागों के लिये भिन्न भिन्न सीमाएँ निर्धारित की जा सकेंगी।"** यहां प्रतिवादी किसी प्रकार से कोई शिकमी या खुदकाश्त होना नहीं पाया गया है एवं ना ही ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

परन्तु प्रस्तुत दस्तोजी साक्ष्य एवं बहस में वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्ति के किये कथनों के आधार पर वादीगण का यह वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बलाड़ की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 914 रकबा 00–07–10, 915 रकबा 00–07–00, 2872/891 रकबा 00–09–00 से तथा खाता संख्या 310 में अंकित खसरा संख्या 893 चाह के हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-7-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या 113/2018

1. श्रीमती ईश्वरी बेवा नारायण आयु लगभग 84 वर्ष निवासी लोधा मौहल्ला नीमच, म.प्र.
2. रमेश पुत्र भवानीराम आयु लगभग 40 वर्ष निवाासी लोधा मौहल्ला नीमच म.प्र.
3. श्रीमती गंगा बेवा चांदमल, निवासी लोधा मौहल्ला नीमच, म.प्र.
4. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार आयु 26 वर्ष निवासी अंधेरी पुलिया पाल बीचला अजमेर
5. नरेन्द्र पुत्र मुरारीलाल जाति लोधा आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी लोधा मौहल्ला नसीराबाद जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. चौथमल पुत्र भैरूलाल जाति लोधा
2. जगदीश पुत्र भैरूलाल जाति लोधा

निवासीगण ग्राम लोधा का बाड़िया, ग्राम बलाड़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 180 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का यह वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बलाड़ की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 914 रकबा 00–07–10, 915 रकबा 00–07–00, 2872/891 रकबा 00–09–00 से तथा खाता संख्या 310 में अंकित खसरा संख्या 893 चाह के हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04-07-2019 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 12:28:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: